न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 134/2022 बउनवानी सुरजमल गर्ग बनाम लो.सू.अधि.एवं सचिव नगर विकास न्यास स.म
पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग निवासी खारे कुए के पास सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/ 230

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
2.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 20.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. पर्यटन ईकाई के लिए खातेदारी जमीन को 90ए मे परिवर्तन करने के लिए आवश्यक वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की समय सीमा कितनी होनी चाहिए अर्थात मेरे पास जो वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र है वे जारी होने के पश्चात कितने दिन तक मान्य है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक प.()नविन्या/सू.का.अ./2022/1307 दिनांक 28.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के पत्रांक प.नविन्या/समा/2022/1308 दिनांक 28.11.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना, सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1308 दिनांक 28.11.2022 से भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:40:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर